संख्या- 43 /2023/ ——— /001-1061-26-3-2023-CN-1597530

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 के मुख्यालय एवं मण्डलीय कार्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-681/पी0पी0/26-97/2022, दिनांक-03.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-03-अधिष्ठान-01-मुख्यालय हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-172.39 लाख (रूपये एक करोड बहत्तर लाख उन्तालिस हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबंदी-04-मण्डलीय कार्यालय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-682.31 लाख (रूपये छः करोड बयासी लाख इक्कतीस हजार मात्र) अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रू0-854.70 लाख (रूपये आठ करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021050301 (मुख्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	080	2235021050301 मुख्यालय	01 वेतन	86,28,000 (रुपये छियासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
2	080	2235021050301 मुख्यालय	03 मंहगाई भत्ता	38,83,000 (रुपये अड़तीस लाख तिरासी हजार मात्र)
3	080	2235021050301 मुख्यालय	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	080	2235021050301 मुख्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	080	2235021050301 मुख्यालय	06 अन्य भत्ते	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
6	080	2235021050301 मुख्यालय	07 मानदेय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
7	080	2235021050301 मुख्यालय	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	080	2235021050301 मुख्यालय	09 विद्युत देय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
9	080	2235021050301 मुख्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
10	080	2235021050301 मुख्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
11	080	2235021050301 मुख्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
12	080	2235021050301 मुख्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
13	080	2235021050301 मुख्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
14	080	2235021050301 मुख्यालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
15	080	2235021050301 मुख्यालय	42 अन्य व्यय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)

16	080	2235021050301 मुख्यालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	080	2235021050301 मुख्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	080	2235021050301 मुख्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
19	080	2235021050301 मुख्यालय	49 चिकित्सा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
20	080	2235021050301 मुख्यालय	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
21	080	2235021050301 मुख्यालय	55 मकान किराया भत्ता	7,70,000 (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र)
	कुल			**1,72,39,000 (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021050400 (मंण्डलीय कार्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	01 वेतन	3,90,00,000 (रुपये तीन करोड़ नव्वे लाख मात्र)
2	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	03 मंहगाई भत्ता	1,75,50,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
3	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	06 अन्य भत्ते	14,000 (रुपये चौदह हजार मात्र)
6	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
8	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
9	080	2235021050400 मंण्डलीय	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

		कार्यालय		
10	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
11	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
12	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
14	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
16	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,25,000 (रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)
17	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	29 अनुरक्षण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
18	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	42 अन्य व्यय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
19	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
20	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
22	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	49 चिकित्सा व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
23	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
24	080	2235021050400 मंण्डलीय कार्यालय	55 मकान किराया भत्ता	37,77,000 (रुपये सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**6,82,31,000 (रुपये छह करोड़ बयासी लाख इकतीस**

				हजार मात्र)

महायोग	8,54,70,000 (रुपये आठ करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-430 /2023/———— /001-1061-26-3-2023-CN-1597530, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।